

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

जयपुर, दिनांक :

12 MAR 2025

सं. एफ. 5(13)वित्त/कर/2024-103:-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 5(13)वित्त/कर/2024-103 दिनांक 17.01.2025 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ० खुशाल यादव)  
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, दिनांक : जनवरी 17, 2025

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 69 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 69 की उप-धारा (1) के अधीन महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण, राजस्थान को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसके द्वारा बनाये गये निम्नलिखित नियमों को, एतद्वारा अनुमोदित और प्रकाशित करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान रजिस्ट्रीकरण (दस्तावेज लेखकों का अनुज्ञापन) नियम, 2025 है।

(2) इनका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) अभिप्रेत है;

(ख) "उप-महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प" से अधिनियम की धारा 8 के अधीन नियुक्त उप-महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प अभिप्रेत है;

- (ग) “दस्तावेज” से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया कोई दस्तावेज अभिप्रेत है और इसमें प्रतिलिपि, निरीक्षण, तलाशी, कालावधि के विस्तार, समर्नों या वारंटों को जारी किये जाने के लिए आवेदन, धारा 73 के अधीन कोई आवेदन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) की धारा 2 की उप-धारा (2) के खंड (न) में यथा परिभाषित और धारा 4 और 6 में उल्लिखित इलैक्ट्रानिक रूप में किसी दस्तावेज का धारा 72 के अधीन अपील का ज्ञापन सम्मिलित है;
- (घ) “दस्तावेज लेखक” से दस्तावेजों के लेखक के रूप में व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञासि धारण करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ङ) “प्ररूप” से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- (च) “महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण” से अधिनियम की धारा 3 के अधीन नियुक्त महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण, राजस्थान अभिप्रेत है;
- (छ) “अनुज्ञासि” से इन नियमों के अधीन अनुदत्त की गयी दस्तावेज लेखक की अनुज्ञासि अभिप्रेत है;
- (ज) “अनुज्ञापन प्राधिकारी” से जिले, जिसमें आवेदक दस्तावेज लेखक के रूप में व्यवसाय करना चाहता है, का उप-महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प अभिप्रेत है;
- (झ) “रजिस्ट्रीकरण” से अधिनियम के अधीन दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है;
- (ञ) “रजिस्ट्रीकरण अधिकारी” में अधिनियम के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार और उप-रजिस्ट्रार दोनों सम्मिलित हैं;
- (ट) “राज्य” से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है; और
- (ठ) “वर्ष” से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का यही अर्थ होगा जो उन्हें राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) में समनुदिष्ट किया गया है।

3. अनुज्ञासि अनुदत्त किये जाने के लिए शैक्षिक अहताएं और अन्य शर्तें.- अनुज्ञापन प्राधिकारी, अपना यह समाधान होने पर कि आवेदक,-

- (i) आवेदन की तारीख को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है;

- (ii) वह अच्छे चरित्र का है;
- (iii) वह राजस्थान राज्य का मूल निवासी है;
- (iv) वह भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक है;
- (v) वह राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से सूचना प्रौद्योगिकी में राजस्थान राज्य प्रमाणपत्र (आरएससीआईटी) या मान्यताप्राप्त संस्थान या संगठन से कम्प्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी में उच्चतर डिग्री धारण करता है; और
- (vi) वह सरकार के किसी विभाग या उपक्रम में या स्थानीय निकाय में नियोजित नहीं है;

स्वविवेकानुसार, उसे दस्तावेज लेखक की अनुज्ञासि मंजूर कर सकेगा।

**4. अनुज्ञास दस्तावेज लेखकों की संख्या नियत करना।-** (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी, समय-समय पर, संबंधित जिले के कलक्टर के पूर्व अनुमोदन से ऐसे जिले के रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों में रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों की संख्या पर विचार करने के पश्चात् जिले में प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय के लिए दस्तावेज लेखकों की संख्या नियत करेगा। इस प्रकार नियत दस्तावेज लेखकों की संख्या, यदि परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करें, आदेश द्वारा राज्य सरकार द्वारा बढ़ायी या घटायी जा सकेगी।

(2) जिले के लिए इस प्रकार नियत दस्तावेज लेखकों की अधिकतम संख्या के निर्बंधन वहां लागू नहीं होंगे जहां अनुज्ञासि निजी स्थान या आवास के लिए ईप्सित है।

**5. अनुज्ञासि अनुदत्त करने की प्रक्रिया।-** (1) प्रत्येक अनुज्ञापन प्राधिकारी अपने वृत्त में किसी जिले में जिला कलक्टर, उप-रजिस्ट्रार, तहसीलदार या नायब तहसीलदार के कार्यालय पर जारी की जाने वाली अनुज्ञासियों की संख्या उपदर्शित करते हुए, राज्य स्तरीय दो दैनिक समाचारपत्रों में पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए सूचना प्रकाशित करेगा। आवेदन आमंत्रित करने के लिए सूचना विभाग के पोर्टल पर भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) अधिमान क्रम में उन स्थानों को उपदर्शित करते हुए, जिनके लिए अनुज्ञासि ईप्सित है, ई-ग्रास चालान के माध्यम से संदत 500/- रुपये की अप्रतिदेय आवेदन फीस के साथ, सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर प्ररूप-क में विभाग के पोर्टल पर आनलाईन आवेदन किया जायेगा।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों की, उनके द्वारा सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा और सीनियर सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा में अभिप्राप्त किये गये अंकों के आधार पर भिन्न-भिन्न

स्थानों के लिए उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार योग्यता सूची तैयार करेगा। योग्यता सूची निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार दिये गये अधिमान के अनुसार तैयार की जायेगी, अर्थात्:-

(i) सैकेण्डरी स्कूल - 50%; और

(ii) सीनियर सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा - 50%।

(4) किसी विशिष्ट स्थान के लिए कुल रिक्तियों में से 50% रिक्तियां शैक्षिक अर्हताएं और नियम 3 में उल्लिखित अन्य शर्तें पूर्ण करने वाले अनुज्ञाप्त स्टाम्प विक्रेताओं से भरी जायेंगी।

(5) अभ्यर्थियों, जो उप-नियम (3) के अधीन यथा तैयार की गयी योग्यता सूची में आते हैं, को रिक्तियों की संख्या और अभ्यर्थियों द्वारा उनके आवेदन प्ररूप में दिये गये स्थानों के अधिमानों के अनुसार प्ररूप - ख में अनुज्ञासि अनुदत्त की जायेगी।

(6) उप-नियम (1) से (5) में उल्लिखित प्रक्रिया वहां लागू होगी जहां अनुज्ञासि उपर्युक्त उल्लिखित लोक कार्यालयों के लिए ईप्सिट है और वहां लागू नहीं होगी जहां अनुज्ञासि निजी स्थान या आवास के लिए ईप्सिट है।

(7) अभ्यर्थी, जो उप-नियम (3) के अधीन या अन्यथा तैयार की गयी योग्यता सूची में आते हैं, को 2000/- रुपये की अनुज्ञासि फीस निष्पित करवाये जाने पर अनुज्ञासि अनुदत्त की जायेगी और ऐसे व्यक्ति निम्नलिखित विषयों पर जानकारी उपलब्ध करवाने के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग द्वारा समय-समय पर संचालित किये जाने वाले प्रशिक्षण सत्रों में उपस्थित होंगे, अर्थात्:-

(क) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) और तदधीन बनाये गये नियम;

(ख) राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) और तदधीन बनाये गये नियम;

(ग) संपत्ति-अंतरण अधिनियम, 1882; और

(घ) विलेखों का प्रारूपण।

6. अनुज्ञासि की कालावधि:- प्रथम बार के लिए अनुज्ञासि उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक अनुदत्त की जायेगी।

7. अनुज्ञासि की दूसरी प्रति जारी किया जाना।- यदि अनुज्ञासि खो गयी है, नष्ट हो गयी है, विरूपित हो गयी है, फट गयी है या अपठनीय हो गयी है, तो दस्तावेज लेखक तत्काल 500/- रुपये की फीस के साथ अनुज्ञासि की दूसरी प्रति अनुदत्त किये जाने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

8. दस्तावेज लेखक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति.- (1) कोई भी व्यक्ति, संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इस निमित अनुदत्त की गयी अनुज्ञासि के अधीन के सिवाय, किसी प्रकार के पारिश्रमिक के लिए, रजिस्ट्रीकरण के लिए, कोई दस्तावेज या रजिस्ट्रीकरण कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिए प्रतियों, तलाशी और निरीक्षण के लिए कोई आवेदन नहीं लिखेगा।

(2) अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने के लिए विधि द्वारा हकदार विधि व्यवसायी के लिए कोई अनुज्ञासि आवश्यक नहीं होगी।

9. अनुज्ञासि का नवीकरण और उसकी फीस.- (1) अनुज्ञासि के अवसान पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी दो वर्ष के लिए अनुज्ञासि का नवीकरण कर सकेगा। नवीकरण के लिए आवेदन, अनुज्ञासि के अवसान की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व 2000/- रुपये की नवीकरण फीस और अनुज्ञासि की प्रति के साथ विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध रूपविधान में आनलाईन किया जायेगा।

(2) नवीकरण फीस उन अनुज्ञाप्त दस्तावेज लेखकों से प्रभारित नहीं की जायेगी जिनके माध्यम से पूर्ववर्ती वर्ष में उसके जरिये रजिस्ट्रीकृत कुल दस्तावेजों में से कम से कम 50% स्वतः विलेखों के रूप में रजिस्ट्रीकृत किये गये हैं।

10. दस्तावेज लेखन के लिए प्रभार और इसका प्रदर्शन.- (1) महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण राज्य में संपूर्ण रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों के लिए, रजिस्ट्रीकरण के दस्तावेजों और रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने वाली प्रतियों, तलाशी और निरीक्षण इत्यादि हेतु आवेदन लिखने के लिए, समय-समय पर, दरें नियत करेगा और कोई भी अनुज्ञाप्त दस्तावेज लेखक इस प्रकार नियत की गयी दरों से अधिक किसी रकम के लिए ना तो कहेगा या ना ही स्वीकार करेगा।

(2) इस प्रकार नियत की गयी दरों की सारणी प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय के बाहर सहजदश्य स्थान पर, और उस स्थान पर जहां दस्तावेज लेखक अपना दस्तावेज लेखन का व्यवसाय करता है, पर हिन्दी में प्रदर्शित की जायेगी और यदि कोई दस्तावेज लेखक इस प्रकार नियत की गयी दरों से अधिक किसी रकम के लिए कहता है या स्वीकार करता है, तो संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी या उप-रजिस्ट्रार, उससे शिकायत किये जाने पर, प्राप्त की गयी अधिक रकम को लौटाने का आदेश कर सकेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी इन नियमों के उपबंधों के अधीन अनुज्ञासि के निलंबन या रद्दकरण के लिए समुचित कार्रवाई कर सकेगा।

11. हस्ताक्षर और पृष्ठांकन.- (1) प्रत्येक अनुज्ञाप्त दस्तावेज लेखक उसके द्वारा बनाये गये प्रत्येक दस्तावेज, आवेदन या अन्य कागज पर निम्नलिखित व्यौरे लिखेगा, अर्थात्:-

- (i) उसका नाम;
- (ii) अनुज्ञासि संख्यांक;
- (iii) इसे लेखबद्ध किये जाने की तारीख;
- (iv) दस्तावेज को पूर्ण करने के लिए उपयोग किये गये पृष्ठों की संख्या;
- (v) प्रभारित फीस; और
- (vi) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (वह संख्यांक जो नियम 12 के अधीन संधारित रजिस्टर में दस्तावेज, आवेदन या कागज रखता है)

(2) ऐसी समस्त प्रविष्टियां विभाग के पोर्टल पर दस्तावेज लेखकों के लिए उपलब्ध डैशबोर्ड पर इलैक्ट्रानिक रूप से अंकित की जायेंगी।

12. दस्तावेजों का रजिस्टर.- प्रत्येक अनुज्ञाप्त दस्तावेज लेखक प्ररूप-ग में विभाग के पोर्टल पर दस्तावेज लेखकों के विशेष रूप से बनाये गये डैशबोर्ड पर उसके द्वारा लेखबद्ध किये गये दस्तावेजों, आवेदनों और कागजों का इलैक्ट्रानिक रजिस्टर संधारित करेगा।

13. अनुज्ञासि का प्रस्तुत किया जाना.- नियम 5 के अधीन अनुदत्त की गयी अनुज्ञासि संबंधित जिला रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार द्वारा, या अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जब भी अपेक्षित की जाये, प्रस्तुत की जायेगी।

14. अनुज्ञासि का निलंबन या रद्दकरण.- (1) नियम 5 के अधीन अनुदत्त की गयी अनुज्ञासि, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर निलंबित या रद्द की जा सकेगी, अर्थात्:-

- (क) कि उक्त दस्तावेज लेखक विधि व्यवसायी हो गया है;
- (ख) कि दस्तावेज लेखक एक दलाल है;
- (ग) कि दस्तावेज लेखक किसी दंड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से अंतर्वलित किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है;
- (घ) कि दस्तावेज लेखक दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में किसी अवैध संव्यवहार या अनुचित व्यवहार में दुष्प्रेरण करने या भाग लेने का दोषी पाया गया है;
- (ङ) कि दस्तावेज लेखक दस्तावेजों के लेखन के लिए अदक्ष पाया गया है;

- (च) कि दस्तावेज लेखक उच्छृंखल आचरण या इन नियमों के अधीन जारी किये गये किसी विधिपूर्ण आदेश की अवज्ञा या इन नियमों के किसी उपबंध के भंग का दोषी है; और
- (छ) कि दस्तावेज लेखक ने दस्तावेज पर नियम 11 के अधीन यथा उपबंधित व्यौरे अभिलिखित नहीं किये हैं।
- (2) कोई भी अनुज्ञासि, दस्तावेज लेखक को प्रस्तावित निलंबन या रद्दकरण के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना निलंबित या रद्द नहीं की जायेगी।
- (3) ऐसे आदेश की प्रति संबंधित जिले के कलकटर और महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण को पृष्ठांकित की जायेगी।

15. अनुज्ञासि के निलंबन या रद्दकरण के विरुद्ध अपील.- (1) दस्तावेज लेखक नियम 14 के अधीन जारी किये गये अनुज्ञासि के निलंबन या रद्दकरण के आदेश के विरुद्ध, निलंबन या, यथास्थिति, रद्दकरण के आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिवस के भीतर महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण के समक्ष अपील फाईल कर सकेगा।

(2) महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण ऐसी अपील की प्राप्ति पर, ऐसे किसी मामले का अभिलेख मंगवायेगा और परीक्षण करेगा और आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझता है। महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।

16. अनुज्ञासिधारकों का रजिस्टर.- प्रत्येक अनुज्ञापन प्राधिकारी अपने यृत के जिले या जिलों में समस्त अनुज्ञाप्त दस्तावेज लेखकों का विभाग के पोर्टल पर प्ररूप-घ में इलैक्ट्रानिक रजिस्टर संधारित करेगा।

17. अनुज्ञाप्त दस्तावेज लेखक को प्रवेश नहीं दिया जाना.- अनुज्ञाप्त दस्तावेज लेखक या विधि व्यवसायी से भिन्न किसी भी व्यक्ति को, रजिस्ट्रीकरण कार्यालय के परिसर में या कार्यालय के अहाते में प्रवेश के लिए,-

- (क) अपने निजी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में कार्य-संव्यवहार के प्रयोजन को छोड़कर; या
- (ख) जब तक कि वे किसी दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता या रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज की तलाशी या प्रति अभिप्राप्त करने के इच्छुक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उनके पक्ष में अनुदत्त किया गया कोई मुख्तारनामा या सम्यक् रूप से पृष्ठांकित कोई प्राप्ति धारण न करते हों,
- अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

18. कार्यालय या स्थान का परिवर्तन.- यदि कोई दस्तावेज लेखक, अपनी अनुज्ञासि के चालू रहने के दौरान, अनुज्ञासि में प्रविष्ट कार्यालय या स्थान से भिन्न किसी कार्यालय या स्थान में वृत्ति करने की इच्छा करता है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार से बिना अतिरिक्त प्रभार के अनुज्ञासि संशोधित कर सकेगा।

19. रजिस्ट्रीकरण इत्यादि करने से इंकार नहीं किया जाना.- पूर्वगामी नियमों में की गयी कोई भी बात किसी भी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी दस्तावेज या प्रतियों, तलाशी या निरीक्षण के आवेदन के प्रतिग्रहण से इस आधार पर इंकार करने के लिए प्राधिकृत नहीं करती है कि उसे किसी अनुज्ञाप्त दस्तावेज लेखक द्वारा नहीं लिखा गया है। व्यक्ति, अपने स्वयं के दस्तावेजों, आवेदनों और याचिकाओं का प्रारूपण करने और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार दस्तावेजों को रजिस्ट्रीकृत करवाने के लिए स्वतंत्र हैं।

20. अनुज्ञासि का अभ्यर्पण.- अनुज्ञाप्तिधारी, जो अनुज्ञासि अभ्यर्पित करना चाहता है या जिसकी अनुज्ञासि रद्द या निलंबित कर दी गयी है या पर्यवसित हो गयी है या वह अन्यथा अपात्र हो गया है, तो इन नियमों के अधीन संधारित समस्त अभिलेखों के साथ तत्काल अनुज्ञापन प्राधिकारी को अनुज्ञाप्ति अभ्यर्पित करेगा।

21. अधीक्षण और नियंत्रण.- अनुज्ञापन प्राधिकारी, महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

22. निरसन और व्यावृति.- राजस्थान रजिस्ट्रीकरण (दस्तावेज लेखकों का अनुज्ञापन) नियम, 1956 को इसके द्वारा निरसित किया जाता है:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गयी कोई बात या की गयी कोई कार्रवाई जब तक कि ऐसी बात या कार्रवाई इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से असंगत न हो इन नियमों के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन की गयी बात या कार्रवाई समझी जायेगी।

**प्ररूप – क**  
**(नियम 5(2) देखिये)**  
**आवेदन का प्ररूप**  
**(दस्तावेज लेखक की अनुज्ञाप्ति अनुदत्त किये जाने के लिए)**

1.	आवेदक का नाम				:	
2.	पिता का नाम				:	
3.	आवेदक की आईडी					
	(i) जन आधार सं.				:	
	(ii) आधार सं.				:	
	(iii) पैन				:	
4.	जन्म दिनांक				:	
5.	स्थायी/डाक पता					
	(i) मकान/फ्लैट/प्लॉट सं.				:	
	(ii) कॉलोनी/क्षेत्र/ग्राम का नाम				:	
	(iii) तहसील				:	
	(iv) ज़िला				:	
	(v) पिन कोड				:	
6.	अधिमान के क्रम में उन स्थानों के नाम जिनके लिए दस्तावेज लेखक की अनुज्ञासि मांगी गयी हैं				:	
	(क) ज़िले का नाम				:	
	(ख) उप-पंजीयक कार्यालयों के नाम					
	(i) .....					
	(ii) .....					
	(iii) .....					
7.	पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र सं. और दिनांक				:	
8.	शैक्षिक योग्यताएं					
	परीक्षा का नाम	वर्ष	रोल नं.	बोर्ड/संस्था/विश्वविद्यालय	अभिप्राप्त अंक (% में)	समर्थक दस्तावेज
	दसर्वी					अंकतालिका की सत्य प्रतियां अपलोड कीजिये
	बारहर्वी					
	स्नातक					
	कंप्यूटर					
	सूचना प्रौद्योगिकी					

मैं घोषणा करता हूं कि मैंने राजस्थान रजिस्ट्रीकरण (दस्तावेज लेखकों का अनुज्ञापन) नियम, 2025 और अनुज्ञासि के निबंधनों और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूं।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप – ख  
(नियम 5(5) देखिये)  
दस्तावेज लेखक की अनुज्ञासि

1. अनुज्ञासि सं. :
2. नाम :
3. पिता का नाम :
4. पूर्ण आवासीय पता :
5. दस्तावेज लेखक की आईडी,-

अनुज्ञासिधारी  
का पासपोर्ट  
आकार का  
फोटो

- (i) जन आधार सं. :
- (ii) आधार सं. :
- (iii) पैन :
6. उस स्थान का पता, जहां अनुज्ञासिधारी व्यवसाय करेगा-  
स्थान ..... शहर/नगर ..... तहसील .....  
जिला.....
7. यह अनुज्ञासि अनुज्ञासिधारी को ..... कार्यालय के परिसर में बैठने के लिए हकदार बनाती है और इसके द्वारा राजस्थान रजिस्ट्रीकरण (दस्तावेज लेखकों का अनुज्ञापन) नियम, 2025 और अनुज्ञासि की शर्तों के उपबंधों के अध्यधीन दस्तावेजों, आवेदनों और याचिकाओं को लिखने के लिए अनुज्ञास करती है।
8. इस अनुज्ञासि के अधीन दस्तावेजों का लेखन अनुज्ञाप्तिधारक द्वारा किया जायेगा।
9. राजस्थान रजिस्ट्रीकरण (दस्तावेज लेखकों का अनुज्ञापन) नियम, 2025 के किन्हीं उपबंधों में से किसी का या अनुज्ञासि शर्त का उल्लंघन या कोई अन्य अनियमितता अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन अनुज्ञाप्ति को रद्दकरण और जुर्माना अधिरोपित करने के लिए दायी बनायेगी।
10. अनुज्ञासि (दिनांक) ..... से (दिनांक) ..... तक अनुदत्त/नवीकृत की गयी है।

स्थान.....  
दिनांक.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर,  
नाम और मुहर

प्ररूप - ८

(नियम 12 देखिये)

दस्तावेज लेखक द्वारा संधारित किया जाने वाला रजिस्टर

वित्तीय वर्ष.....

मास.....

दस्तावेज का क्र.सं.	तारीख जिस निष्पादकों का दावेदारों का दस्तावेज की श्रेणी	निष्पादकों का नाम और नाम और लिखा गया पता	दावेदारों का नाम और नाम और लिखा गया पता	दस्तावेज की उप-श्रेणी, यदि लागू हो	संपति के ब्यारे, यदि लागू हो	दस्तावेज का बाजार मूल्य, यदि लागू हो	उस कार्यालय का नाम, जिसके लिए दस्तावेज लिखा गया	स्टाम्प का मूल्य, जिस लिखने के पर दस्तावेज लिखा गया	दस्तावेज लिखने के प्रभार	दस्तावेज लेखक के हस्ताक्षर	पक्षकार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	अन्युक्तिय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्ररूप - घ

(नियम 16 देखिये)

अनुज्ञासिधारकों का रजिस्टर

जिले का नाम .....

उप-रजिस्ट्रार कार्यालय का नाम .....

वित्तीय वर्ष .....

क्र.सं.	अनुज्ञासि संख्या	नाम	पिता का नाम	पता	जन्म दिनांक	अनुज्ञाप्ति जारी करने की तारीख	जन आधार संख्या	आधार संख्या	पैन	कार्य करने के स्थान का पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(सं. एफ. 5(13)वित्त/कर/2024-103)

राज्यपाल के आदेश से,

ह०

(डॉ० खुशाल यादव)

संयुक्त शासन सचिव”

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सॉफ्ट कॉपी सहित आसाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपको प्रकाशन के लिए प्रेषित सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी एक समान हैं।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (कराधान), राजस्थान, जयपुर।
- महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- महानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
- निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
- तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव